प्रेषक,

रवि शंकर गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 14 अगस्त,2020

विषयः-वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद को अनुदान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अपने पत्र संख्या-156/दुग्ध-4/नियो0/ उ0प्र0रा0दु0परि0 वि0सहा0/2020-21, दिनांक 10 अगस्त, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-16 अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता मद में प्राविधानित धनराशि रू0163.84लाख के सापेक्ष रू037.27 लाख की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(2) पूर्व में अवशेष धनराशि के उपभोगोपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि में से वेतनादि मद में रू0 36.95 लाख व कार्यालय संबंधी मद में रू0 0.32 लाख व्यय की जायेगी।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का निर्धारित मद से इतर किसी अन्य मद में किये जाने वाला व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को निर्धारित मद में व्यय कराने व उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

.....2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 अन्तर्गत लेखाशीर्षक ‘‘2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनायें -10-उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता-20-सहायता अनुदान- सामान्य(गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दी गयी व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रवि शंकर गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या:8/2020/690(1)/53-2-2020-44 बजट/ 18 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज (इलाहाबाद)
2- सचिव, उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय परियोजना, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
7- आहरण एवं वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ
8- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग,जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
9- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।